"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 जुलाई 2018 — आषाढ़ 25, शक 1940

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 06–11/2018/वा.कर(पं.)/पांच(53). — भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 (1899 का संख्यांक–2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, "छत्तीसगढ़ राज्य लाजिस्टिक्स पार्क नीति–2018" के तहत् लाजिस्टिक्स पार्क की स्थापना के लिए, किसी संस्था को ऋण स्वीकृति दिनांक से 3 वर्ष तक की समयावधि में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञा प्राप्त बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण/अग्रिम प्राप्त करने के संबंध में निष्पादित विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है :–

स्पष्टीकरण :– इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु –

1. उपरोक्त इकाईयों को छूट की पात्रता "छत्तीसगढ़ राज्य लाजिस्टिक्स पार्क नीति–2018" की कंडिका 6 में वर्णित मापदण्डों के अनुरूप होगी।
2. इस छूट के प्रयोजन के लिए परिभाषाएं वही होंगी जैसा कि "छत्तीसगढ़ राज्य लाजिस्टिक्स पार्क नीति–2018" के परिशिष्ट (1) में परिभाषित है।
3. स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए केवल वे इकाइयां पात्र होंगी जिन्हे "छत्तीसगढ़ राज्य लाजिस्टिक्स पार्क नीति–2018" के प्रावधानों के अनुसार उद्योग–आयुक्त /संचालक–उद्योग अथवा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तत्संबंधी छूट का प्रमाण–पत्र (परिशिष्ट "ए") जारी किया गया हो। उपरोक्त आशय हेतु जारी प्रमाण–पत्र में छूट के मापदण्डों का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।
4. ऐसा प्रमाण–पत्र पंजीयन के लिए प्रस्तुत विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर रिकार्ड का भाग बनाया जायेगा।
5. स्टाम्प शुल्क से छूट के संबंध में "छत्तीसगढ़ राज्य लाजिस्टिक्स पार्क नीति–2018" की कंडिका–10 (लाजिस्टिक्स पार्क के डेव्हलपर के दायित्व) में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करने पर दी गई छूट तत्काल निष्प्रभावी हो जायेगी तथा छूट की राशि की वसूली भू–राजस्व की तरह, मुद्रांक शुल्क छूट प्राप्ति दिनांक से साढ़े बारह प्रतिशत की दर से ब्याज सहित, उद्योग विभाग के सहयोग से कलेक्टर द्वारा वसूल की जावेगी।
6. उक्त अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी।
7. ऐसे विलेखों जिनमें संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया हो, उन्हे इस अधिसूचना के अधीन स्टाम्प शुल्क से छूट की पात्रता नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

परिशिष्ट "ए"

"छत्तीसगढ़ राज्य लाजिस्टिक्स पार्क नीति–2018" के तहत् लाजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु निष्पादित पट्टा विलेख/बैंक, वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने संबंधी लिखतों पर स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए जारी

प्रमाण–पत्र

(दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर यह प्रमाण–पत्र मूल में कार्यालयीन प्रति के साथ संलग्न किया जावे)

क्रमांक .... जारी दिनांक– ....

प्रमाणित किया जाता है कि .... (संस्था/ईकाई का नाम) एक एकल स्वामित्व/साझेदारी/कम्पनी/सहकारी समिति/सीमित दायित्व साझेदारी संस्था है। संस्था के नाम पर एक चक में न्यूनतम 15 एकड़ लाजिस्टिक्स पार्क प्रयोज्य भूमि है। लाजिस्टिक्स पार्क हेतु प्रयोज्य भूमि, ग्राम–...................................... प.ह.नं.–...................... राजस्व निरीक्षण मण्डल–................................ब्लाक–.......................... तहसील–.............................. जिला–................................ (छ0ग0) में स्थित भूमि है जिसका खसरा नम्बर ....रकबा–......................... है।

2. (संस्था/ईकाई का नाम) .... को लाजिस्टिक्स पार्क स्थापना हेतु ज्ञापन/आदेश क्रमांक .... दिनांक .... से अभिस्वीकृति प्रदान की गई है। संस्था/ईकाई "छत्तीसगढ़ राज्य लाजिस्टिक्स पार्क नीति–2018" एवं नीति की कंडिका 6 एवं 10 के तहत् पात्र है एवं पूर्ण पालन कर रही है।

यह प्रमाण पत्र एतद द्वारा आज दिनांक–....................... को छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, की अधिसूचना क्रमांक–.. दिनांक--......................... की शर्तों के अधीन लाजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु निष्पादित लिखतों पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक–....................... तक दस्तावेज के निष्पादन हेतु प्रभावशील होगा ।

स्थान :
तारीख :

उद्योग–आयुक्त/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
सील सहित

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2018

क्रमांक एफ 06–11/2018/वा.कर(पं.)/पांच(53). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 06–11/2018/वा.कर(पं.)/पांच(53), दिनांक 13 जुलाई, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव

Naya Raipur, the 13th July 2018

NOTIFICATION

No. F 06-11/2018/C.T.(R)/V(53). — In exercise of the powers conferred by Clause-a of sub-section-1 of Section-9 of the "Indian Stamp Act 1899 (No.2 of 1899)", the State Government hereby exempts those firms, established under the "Chhattisgarh State Logistics Park Policy 2018", from Stamp Duty chargeable on the deeds executed for seeking loans/advances from Banks/Financial Institutions,which have been duly permitted by the Reserve Bank Of India,within a period of three years from the sanction of such loan.

Explanation:- For the purpose of this notification :-

1. Eligibility of exemption to above units will be in accordance with the criteria mentioned in point-6 of "Chhattisgarh State Logistics Park Policy 2018".
2. The definitions for the purpose of exemption will be same as in the "Chhattisgarh State Logistics Park Policy 2018", as defined in its Appendix(1).
3. Only those units will be eligible for exemption from Stamp Duty as per the provision of the "Chhattisgarh State Logistics Park Policy 2018", whose certificate of exemption from Stamp Duty (Appendix "A") has been issued by the Commissioner-Industries/Director-Industries or Authorised Officer, authorised by notification. Certificate issued for above-mentioned purpose shall necessarily have exemption criteria mentioned.
4. Such certificate shall be presented in original with the deed presented for registration and will be attached to the office copy of relevant document and also be made part of the record.
5. In relation to this exemption of Stamp Duty, on violation of the conditions mentioned in para-10 (in the part pertaining to Duties of the Developer) of "Chhattisgarh State Logistics Park Policy 2018" the exemption given will be immediatly rendered ineffective and recovery of the stamp duty so exempted will be made akin to land revenue through The Collector with the assistance of Industries department, including interest @12.5% from the date of receipt of exemption from such stamp duty.
6. The above notification shall be effective from the date of publication in the gazette.
7. Such deeds in which the Stamp Duty has been paid before the date of publication in the gazette of this notification by respective parties, will not be eligible for exemption from the stamp duty under this notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Secretary.

Appendix"A"

Certificate issued for exemption from Stamp Duty regarding executed lease deed related to obtaining loan/advance from the Bank/Financial Institution to establish Logistics Park under "Chhattisgarh Logistics Park Policy 2018".

CERTIFICATE

(This Certificate shall be attached in original with the office copy,
on submission of documents for registration.)

Serial No:- .... Date of issue:- ....

This is to Certify that..(name of the organisation/institution)is a Proprietorship/Partnership/Company/Co-Operative Society/ Limited Liability Partnership Organisation.The Organisation has a minimum of 15 Acres of land in single Unit(Chak) proposed for Logistics park,in its name.

The proposed land for the Logistics Park is situated at Village..
P.H.No............................ Revenue Inspection Circle.............................. Block...........................
Tehsil.................................. Distt. ....(C.G).whose khasra No. is.....................................
& acerage....................

2. (Organisation/Unit name).......................................has been granted permission to establish Logistics Park Vide Memorandum/Order No.. dated .... The Organisation/Unit is eligible under Para-6 and Para-10 of "Chhattisgarh State Logistics Park Policy Scheme 2018" and is following strictly.

This certificate is hereby issued to grant exemption from Stamp Duty on executed deeds to establish Logistics Park under the conditions of Government Of Chhattisgarh, Commercial Tax (Registration) department vide notification no.....................................dated.........................and will be effective for the execution of the document till date.......................................

Place:-
Date:-

Commissioner Industries /Authorised
Signature with seal

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 06–11/2018/वा.कर(पं.)/पांच(54). — भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक–2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, "छत्तीसगढ़ राज्य लाजिस्टिक्स पार्क नीति–2018" के तहत् लाजिस्टिक्स पार्क की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन में दी गई अधिकतम भूमि की मात्रा तक/लीज के प्रकरणों में न्यूनतम 30 वर्षीय पट्टे पर आबंटित भूमि की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है :–

स्पष्टीकरण :– इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु –

1. उपरोक्त इकाईयों को छूट की पात्रता "छत्तीसगढ़ राज्य लाजिस्टिक्स पार्क नीति–2018" की कंडिका 6 में वर्णित मापदण्डों के अनुरूप होगी।
2. इस छूट के प्रयोजन के लिए परिभाषाएं वही होंगी जैसा कि "छत्तीसगढ़ राज्य लाजिस्टिक्स पार्क नीति–2018" के परिशिष्ट (1) में परिभाषित है।
3. स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए केवल वे इकाइयां पात्र होंगी जिन्हे "छत्तीसगढ़ राज्य लाजिस्टिक्स पार्क नीति–2018" के प्रावधानों के अनुसार उद्योग–आयुक्त /संचालक–उद्योग अथवा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तत्संबंधी छूट का प्रमाण–पत्र (परिशिष्ट–ए) जारी किया गया हो। उपरोक्त आशय हेतु जारी प्रमाण–पत्र में छूट के मापदण्डों का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।
4. ऐसा प्रमाण–पत्र पंजीयन के लिए प्रस्तुत विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर रिकार्ड का भाग बनाया जायेगा।
5. स्टाम्प शुल्क से छूट के संबंध में "छत्तीसगढ़ राज्य लाजिस्टिक्स पार्क नीति–2018" की कंडिका–10 (लाजिस्टिक्स पार्क के डेव्हलपर के दायित्व) में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करने पर दी गई छूट तत्काल निष्प्रभावी हो जायेगी तथा छूट की राशि की वसूली भू–राजस्व की तरह, मुद्रांक शुल्क छूट प्राप्ति दिनांक से साढ़े बारह प्रतिशत की दर से ब्याज सहित, उद्योग विभाग के सहयोग से कलेक्टर द्वारा वसूल की जावेगी।
6. उक्त अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी।
7. ऐसे विलेखों जिनमें संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया हो, उन्हे इस अधिसूचना के अधीन स्टाम्प शुल्क से छूट की पात्रता नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

परिशिष्ट ''ए''

''छत्तीसगढ़ राज्य लाजिस्टिक्स पार्क नीति–2018'' के तहत् लाजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु निष्पादित पट्टा विलेख/बैंक, वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने संबंधी लिखतों पर स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए जारी

प्रमाण–पत्र

(दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर यह प्रमाण–पत्र मूल में कार्यालयीन प्रति के साथ संलग्न किया जावे)

क्रमांक .... जारी दिनांक– ....

प्रमाणित किया जाता है कि .... (संस्था/ईकाई का नाम) एक एकल स्वामित्व/साझेदारी/कम्पनी/सहकारी समिति/सीमित दायित्व साझेदारी संस्था है। संस्था के नाम पर एक चक में न्यूनतम 15 एकड़ लाजिस्टिक्स पार्क प्रयोज्य भूमि है। लाजिस्टिक्स पार्क हेतु प्रयोज्य भूमि, ग्राम–.. प.ह.नं.–...................... राजस्व निरीक्षण मण्डल–................................ब्लाक–.......................... तहसील–.............................. जिला–................................ (छ0ग0) में स्थित भूमि है जिसका खसरा नम्बर ....रकबा–........................ है।

2. (संस्था/ईकाई का नाम) .... को लाजिस्टिक्स पार्क स्थापना हेतु ज्ञापन/आदेश क्रमांक .... दिनांक .... से अभिस्वीकृति प्रदान की गई है। संस्था/ईकाई ''छत्तीसगढ़ राज्य लाजिस्टिक्स पार्क नीति–2018'' एवं नीति की कंडिका 6 एवं 10 के तहत् पात्र है एवं पूर्ण पालन कर रही है।

यह प्रमाण पत्र एतद द्वारा आज दिनांक–........................ को छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, की अधिसूचना क्रमांक–... दिनांक–.................................. की शर्तों के अधीन लाजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु निष्पादित लिखतों पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक–........................ तक दस्तावेज के निष्पादन हेतु प्रभावशील होगा ।

स्थान :
तारीख :

उद्योग–आयुक्त/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
सील सहित

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2018

क्रमांक एफ 06–11/2018/वा.कर(पं.)/पांच(54). —भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 06–11/2018/वा.कर(पं.)/पांच(54), दिनांक 13 जुलाई, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

Naya Raipur, the 13th July 2018

NOTIFICATION

No. F 06-11/2018/C.T.(R)/V(54). — In exercise of the powers conferred by Clause-a of sub-section-1 of Section-9 of the "Indian Stamp Act 1899 (No.2 of 1899)", the State Government hereby exempts the Stamp Duty chargeable on the land, for a maximum area as mentioned in the Project Report / in case of lease, for land allotted under a lease with a period of minimum 30 years, for establishment of Logistics Park under the "Chhattisgarh State Logistics Policy 2018".

Explanation:- For the purpose of this notification:-

1. Eligibility of exemption to above units will be in accordance with the criteria mentioned in point-6 of "Chhattisgarh State Logistics Park Policy 2018".
2. The definitions for the purpose of exemption will be same as in the "Chhattisgarh State Logistics Park Policy 2018", as defined in its Appendix(1).
3. Only those units will be eligible for exemption from Stamp Duty as per the provision of the "Chhattisgarh State Logistics Park Policy 2018", whose certificate of exemption from Stamp Duty (Appendix "A") has been issued by the Commissioner-Industries/Director-Industries or Authorised Officer, authorised by notification. Certificate issued for above-mentioned purpose shall necessarily have exemption criteria mentioned.
4. Such certificate shall be presented in original with the deed presented for registration and will be attached to the office copy of relevant document and also be made part of the record.
5. In relation to this exemption of Stamp Duty, on violation of the conditions mentioned in para-10 (in the part pertaining to Duties of the Developer) of "Chhattisgarh State Logistics Park Policy 2018" the exemption given will be immediatly rendered ineffective and recovery of the stamp duty so exempted will be made akin to land revenue through The Collector with the assistance of Industries department, including interest @12.5% from the date of receipt of exemption from such stamp duty.
6. The above notification shall be effective from the date of publication in the gazette.
7. Such deeds in which the Stamp Duty has been paid before the date of publication in the gazette of this notification by respective parties, will not be eligible for exemption from the stamp duty under this notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Secretary.

Appendix"A"

Certificate issued for exemption from Stamp Duty regarding executed lease deed related to obtaining loan/advance from the Bank/Financial Institution to establish Logistics Park under "Chhattisgarh Logistics Park Policy 2018".

CERTIFICATE

(This Certificate shall be attached in original with the office copy, on submission of documents for registration.)

Serial No:- .... Date of issue:- ....

This is to Certify that...(name of the organisation/institution)is a Proprietorship/Partnership/Company/Co-Operative Society/ Limited Liability Partnership Organisation.The Organisation has a minimum of 15 Acres of land in single Unit(Chak) proposed for Logistics park,in its name.

The proposed land for the Logistics Park is situated at Village.. P.H.No.............................. Revenue Inspection Circle............................... Block:.............................. Tehsil.................................. Distt. ....(C.G),whose khasra No. is.. & acerage....................

2. (Organisation/Unit name).......................................has been granted permission to establish Logistics Park Vide Memorandum/Order No... dated .... The Organisation/Unit is eligible under Para-6 and Para-10 of "Chhattisgarh State Logistics Park Policy Scheme 2018" and is following strictly.

This certificate is hereby issued to grant exemption from Stamp Duty on executed deeds to establish Logistics Park under the conditions of Government Of Chhattisgarh, Commercial Tax (Registration) department vide notification no.....................................dated..........................and will be effective for the execution of the document till date.......................................

Place:-
Date:-

Commissioner Industries /Authorised
Signature with seal

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.